

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 22, शक 1946

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगर परिषद् मिहोना, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

मिहोना, दिनांक 6 नवम्बर 2024

क्र. स्था.शा.-2024-2006.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के अनुबन्धों के अधीन नगर परिषद् मिहोना, जिला भिण्ड की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद् मिहोना, जिला भिण्ड

अनुसूची-दो  
दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | पद की श्रेणी | पद संवर्ग का नाम नियमित/संविदा  | संविदा भर्ती के लिए कुल स्वीकृत पद संख्या | योग | निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकित किए गए आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रक्तियां |                              |   |  | योग  | रिमांक |
|------|--------------|---------------------------------|---|-----|---|--|------------------------------|---|--|------|--------|
|      |              |                                 |   |     |   | दृष्टिबाधित और कम दृष्टि (1.5%)              | बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%) | ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलंगता (1.5%) |      |        |
| (1)  | (2)          | (3)                             | (4)                                       | (5) | (6)   | (7)  | (8)                          | (9)   | (10)   | (11) | (12)   |
| 1.   | चतुर्थ       | जनसेवक (सफाई कर्मचारी) (संविदा) | 21  | 21  | 01  | 00   | 00                           | 00  | 01   | 01   |        |

रमाशंकर शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.